

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 38/2018

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर
बनाम

1. बिरमाराम पुत्र श्री भोमाराम, 3/115 शंकर कॉलोनी, जिला श्रीगंगानगर
2. मै० ज्याणी पतीसा, कीला नं.35, एम-18 जगदम्बा कॉलोनी, जिला श्रीगंगानगर

अभियुक्त

अपराध अ० धारा 26 उपधारा 2(II) खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 21.05.2018

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 27.10.2016 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 22.05.2017 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में बताये हैं।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.10.2017 को दोपहर 1.30 पी.एम. पर फर्म मै० ज्याणी पतीशा एवं उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां फर्म पर बिरमाराम पुत्र भोमाराम, मै० ज्याणी पतीसा, कीला नं.35, एम-18 जगदम्बा कॉलोनी, जिला श्रीगंगानगर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से मौजूद थे एवं आम जनता को "Patisha [Prep. In Palmolein Oil]" विक्रय कर रहे थे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ कुल्फी के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की तो वहां एक स्टील की ट्रे में लगभग 10 किग्रा "Patisha [Prep. In Palmolein Oil]" आम जन के विक्रय हेतु रखा हुआ था। 2 किग्रा "Patisha [Prep. In Palmolein Oil]" जांच के लिए खरीद की, "Patisha [Prep. In Palmolein Oil]" की कीमत 120/- रु अदा की एवं खरीदी रसीद तैयार की, तथा उपस्थित गवाहान श्री सीमाराम एवं श्री राकेश सचदेवा के हस्ताक्षर करवाये। फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर



[Handwritten Signature]
अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार प्लास्टिक की बोतलें दिखाई, लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीदशुदा "Patisha [Prep. In Palmolein Oil]" को चारो नमूना प्लास्टिक बोतालों में बराबर-बराबर भरा, प्रत्येक नमूना बोतलों पर एक एक लेबल गोंद से चिपकाया चारो नमूना बोतलों को कोर्क से एयरटाईट बंद किया चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप के-841 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता श्री बिरमा राम ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/2210/एक्ट/2017/2282 दिनांक 25.10.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के-841 "Patisha [Prep. In Palmolein Oil]" अमानक स्तर (Substandard Food) होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त बिरमाराम पुत्र श्री भोमाराम, 3/115 शंकर कॉलोनी, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर "Patisha [Prep. In Palmolein Oil]" का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 07.05.2018 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस "Patisha [Prep. In Palmolein Oil]" का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (Substandard Food) पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त "Patisha [Prep. In Palmolein Oil]" में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण करने का श्रम करें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।



[Handwritten Signature]
अति. जिला कलेक्टर (प्रसासन)
श्रीगंगानगर

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया "Patisha [Prep. In Palmolein Oil]" का सैम्पल के-841 जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/2210/एक्ट/2017/2282 दिनांक 25.10.2017 द्वारा (Substandard Food) होना पाया गया है। लिये गये सैम्पल में अपमिश्रण होना नहीं पाया गया है और न ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या 03- Added synthetic colouring matter- Synthetic Food Colour Tartrazine Present पाया गया जबकि Absent as per memorandum होना चाहिए था। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 2 (ii) उल्लंघन तथा धारा 51 के तहत जुर्मान योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि पिता स्व० श्री बन्तासिंह द्वारा दिनांक 31.05.2006 को एक रजिस्टर्ड वसीयत उप-पंजीयक खाजूवाला के समक्ष अपनी कृषि भूमि चक 21 बी.डी. के 22 बीघा 8 बिस्वा व चक 1 सी बडी के मुरब्बा नम्बर 31 की 15.05 बीघा कुल 37.13 बीघा बहिस्सा बराबर हमारे सगे भाईयों/ मामा के पक्ष में तहरीर हुई है। अगर उक्त वसीयत के आधार पर पाला सिंह, हरचन्द सिंह व सरजीत सिंह तीनों के नाम से स्वर्गीय बन्ता सिंह की कृषि भूमि का इन्तकाल बहिस्सा बराबर होता है तो हमें कोई एतराज अथवा आपत्ति नहीं है। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Patisha [Prep. In Palmolein Oil]" bearing Code No. and Sr. No. K-841 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganaganagar is Substandard Food Under Section 3[1][zx] of FSS Act, 2006 due to presence of Added synthetic colouring matter. जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 2500-00 (अखरे रूपये दो हजार पांच सौ मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में "Patisha [Prep. In Palmolein Oil]" के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नखतदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासक)
श्रीगंगानगर